**Form No. III**

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

| अज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर कपासन** | मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाकियाकलां |
|---|---|

| **उदेराम** | बनाम | **छगनलाल** |
|---|---|---|

| किस्मा मुकदमा **राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0** | नं0 25 | सन् **2023** |
|---|---|---|

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **13.06.2023** | वकील प्रार्थी ने आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाकियाकलां में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रस्तुत कर बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, प्रार्थी ने बताया कि मौजा दामाखेडा पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन के जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 10 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 551, 558, 563, 564, 726 कुल किता 5 कुल रकबा 1.20 हैक्ट. कृषि भूमि का प्रार्थी संयुक्त खातेदार काश्तकार है, प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।<br><br>हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थी को सुना। प्रार्थी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा दामाखेडा पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन के जमाबन्दी संवंत् 2074–2077 के खाता संख्या 10 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 551, 558, 563, 564, 726 कुल किता 5 कुल रकबा 1.20 हैक्ट. कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी [illegible] खडी न हो तो न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं [illegible] सीमा चिन्ह स्थापित कर बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती क[illegible] मौका नक्शा सीमांकन (पत्थरगढी) किया जा[illegible] (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार 15 दिवस में प्रस्तु[illegible] करे। सीमांकन [illegible] मौका कमिश्नर नि[illegible] कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर [illegible] किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का [illegible]र्ड विधिवत संधारित कि[illegible] जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।<br><br>(अर्चना बुगालिया)<br>सहायक कलेक्टर एवं | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:33:09 IST
Reason: SelfAttested